इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2018—भाद्र 16, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2018

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 20 से 23 अगस्त 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

न्यायालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 16 अगस्त 2018

आदेश

क्रमांक कले.-वाचक-एनएसए-2018-4812.—चूंकि मुझे डॉ. सतेन्द्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर को यह समाधान हो गया है कि हफीजउद्दीन पिता जगीरउद्दीन, उम्र 45 वर्ष निवासी, बुधवारा, थाना कोतवाली, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के अधीन निरुद्ध करना आवश्यक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत निरोध आदेश पारित किया गया.

पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावेदक हफीजउद्दीन पिता जगीरउद्दीन निवासी बुधवारा के विरुद्ध थाना कोतवाली बुरहानपुर में दिनांक 20-4-2018 को कुल 8 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, उक्त दिनांक से ही अनावेदक उसके निवास तथा बुरहानपुर से फरार है. अनावेदक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, इस प्रकार उक्त निरोधादेश का निष्पादन भी नहीं पाया है.

अतः अनावेदक हफीजउद्दीन पिता जगीरउद्दीन, उम्र 45 वर्ष, निवासी बुधवारा, थाना कोतवाली, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 17 सितम्बर 2018 को समय अप. 3.00 बजे न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला बुरहानपुर के समक्ष हाजिर हों.

क्रमांक कले.-वाचक-एनएसए-2018-4815.—चूंकि मुझे डॉ. सतेन्द्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर को यह समाधान हो गया है कि जहीरउद्दीन पिता इकरामउद्दीन, उम्र 40 वर्ष निवासी, आजाद नगर, थाना गणपतिनाका, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के अधीन निरुद्ध करना आवश्यक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत निरोध आदेश पारित किया गया.

पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावेदक जहीरउद्दीन पिता इकरामउद्दीन, निवासी आजाद नगर के विरुद्ध थाना कोतवाली बुरहानपुर में दिनांक 20-4-2018 को कुल 8 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, उक्त दिनांक से ही अनावेदक उसके निवास तथा बुरहानपुर से फरार है. अनावेदक की गिरफ्तारी हेतु अन्य सम्भावित स्थानों पर कोतवाली पुलिस द्वारा तलाश की गई किन्तु अनावेदक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, इस प्रकार उक्त निरोधादेश का निष्पादन भी नहीं पाया है.

अतः अनावेदक जहीरउद्दीन पिता इकरामउद्दीन, उम्र 40 वर्ष निवासी, आजाद नगर, थाना गणपतिनाका, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 17 सितम्बर 2018 को समय अप. 3.00 बजे न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर के समक्ष हाजिर हों.

सतेन्द्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक-11051-न.क्र. 125-व.लि.-2-18.—मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. 256-446-अड़तीस-2-2018, दिनांक 21 फरवरी 2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 जून 2004 के बिन्दु-03 मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार शासकीय पीजी महाविद्यालय, पिपरिया का नामकरण शहीद भगतसिंह शासकीय पीजी महाविद्यालय किया जाता है. -

प्रियंका दास, कलेक्टर.

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक/108 /अकादमी/2021 भोपाल, दिनांक 12.01.21

अधिसूचना

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के आदेश क्र 11051- शा.क्र.125-वाले -2-18-मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र 256-446-अडतीस - 2-2018 दिनांक 21.फरवरी 2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 जून 2004 के बिन्दु -03 मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार द्वारा जारी पत्र के आधार पर विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 26.12.2020 में की गई अनुशंसा एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति जी को प्राप्त अधिकार के तहत आपके महावि0 के नाम में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है ।

क्र.	महाविद्यालय पूर्व का नाम	महाविद्यालय का परिवर्तित नाम
01.	शासकीय पीजी महाविद्यालय, पिपरिया जिला होशंगाबाद	शहीद भगतसिंह शासकीय पीजी महाविद्यालय पिपरिया जिला होशंगाबाद

आदेशानुसार,

कुलसचिव
बरकतउल्ला वि.विभोपाल.

पृ0क्रमांक 109 /अकादमी/संबंद्धता/21 दिनांक 12.01.21

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षैत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल नर्मदापुरम संभाग की ओर सूचनार्थ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
5. बेवसाईट प्रभारी इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की बेवसाईट पर प्रदर्शित करें।
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।

उप-कुलसचिव (अकादमी)